File No.76-1099/172/2021-1-

I/63570/2021

अति महत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्याः 26 /2021/ 1109 /छिहत्तर-1-2021-6 सम/2017

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 12 अप्रैल, 2021

विषयः- प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो गया है। इस समय प्रदेश के कतिपय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है। पेयजल की समस्या का त वरित समाधान किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमितकताओं में सम्मिलित है। प्रत्येक जन मानस तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत प्रत येक जनपद मे नोडल अधिकारी नामित कर कन्ट्रोल रूम स्थापित करने तथा प्रशासनिक मशीनरी को लगातार अलर्ट किये जाने की आवश्यकता है ।

2- अतः वर्तमान वर्ष में ग्रीष्म ऋतु के आगमन के दृष्टिगत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:

1. प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि समस्त जनपदों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों (इण्डिया मार्क -।। हैण्डपम्पों/पाइप पेयजल योजनाओं/टी0 टी0 एस 0 पी0 आदि) को सुचारू रूप से संचालित कराते हुए स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय ।
2. समस्त जनपदों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु जनपद स्तरीय सम्बन्धित प्रशासनिक मशीनरी को 24 घंटे "एलर्ट" पर रखा जाय, ताकि पेयजल की समस्या का त्वरित समाधान हो सके ।
3. पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित कर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाय, जिसे जनपद के नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्र के तहसीलों/विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों से प्रभावी रूप से जोड़ दिया जाय । जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों के मोबाइल नम्बर एवं कन्ट्रोल रूम के लैण्ड लाइन एवं मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों/तहसीलों/विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों आदि में प्रसारित कराया जाय।

File No.76-1099/172/2021-1-

3570/2021

4. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अधिष्ठापित सभी खराब हैण्डपम्प तत्काल ठीक करा दिए जाए, पर्याप्त संख्या में प्याऊ की व्यवस्था कराई जाए तथा सभी सरकारी परिसरों यथा-कलेक्ट्रेट, तहसील, थाना, अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों इत्यादि में घड़े/प्याऊ रखवाकर अथवा अन्य व्यवस्था कराकर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि घडे/प्याऊ की यह व्यवस्था जनसामान्य को सुलभ रूप से उपलब्ध हो । ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प के साथ चरही भी बनवाई जाय, जिससे पशुओं के लिये भी पेयजल की समुचित व्यवस्था हो सके।
5. उपरोक्त व्यवस्थाओं के माध्यम से जिन लोगों के घरों तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित न हो पा रही हो उनके घरों तक पूर्व वर्षों की भांति टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाय । टैंकरों की आवश्यकता का आंकलन कर लिया जाए एवं उपलब्ध टैंकरों एवं ट्रक्टरों को ड्राइवरों के साथ लिंक कर सूचीबद्ध कर संबंधितों को उपलब्ध कराया जाय ।यह कार्यवाही पूर्ण कराते हुए जनपदवार कार्य योजना दिनांक 15.04.2021 तक पूर्ण कराकर तदनुसार निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ एवं अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराया जाय।
6. जनपद स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम का विवरण/दूरभाष नम्बर, नामित नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम/कार्यालय का विवरण व मोबाइल नम्बर, शासन/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ एवं अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जाये
7. प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की गम्भीर समस्या वाले क्षेत्रों, विशेषकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 07 जनपदों यथा झांसी, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट एवं विषम भौगोलिक स्थिति तथा पेयजल समस्या से ग्रस्त अन्य जनपदों यथा-सोनभद्र, मीरजापुर, आगरा, फतेहपुर, चन्दौली, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ, कौशाम्बी, फिरोजाबाद, तथा मथुरा में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किये जायें।
8. ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान विषयक शासनादेश संख्या-12/2021/912/ छिहत्तर-1-2021-6 सम/2017 दिनांक 16.03.2021 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की दैनिक सूचना jjmup.org पोर्टल पर अपलोड कराया जाय।
10. कोविड -19 महामारी के दृष्टिगत सोशल डिस्टेन्सिंग सम्बन्धी नियमों का भी पालन किया जाय ।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

File No.76-1099/172/2021-1-

3570/2021

संख्या-26 / 2021/1109(1) /छिहत्तर-1-2021-6 सम/2017 तददिनांक

-: उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।(द्वारा जिलाधिकारी)
8. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। (द्वारा जिलाधिकारी)
9. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।(द्वारा जिलाधिकारी)
10. समस्त जिला विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।
11. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)

अनु सचिव।